रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26082021-229247
CG-DL-W-26082021-229247

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अगस्त 15—अगस्त 21, 2021, शनिवार / श्रावण 24—श्रावण 30, 1943
No. 20] NEW DELHI, AUGUST 15—AUGUST 21, 2021, SATURDAY/SRAVANA 24 – SRAVANA 30, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

आ.अ. 254.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभाका साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 230-बीड विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार,प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा,एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारीएवं कलेक्टर,बीड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 230-बीडविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बीड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** को दिनांक 25.08.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25.08.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, महेंद्र राजेन्द्र बोराडे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 15.09.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद,जिला निर्वाचन अधिकारीएवं कलेक्टर,बीड जिला द्वारा दिनांक 22.09.2020 के अपने पत्र सं.2020/सामान्य निर्वाचन/डब्ल्यू.एस-517 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,बीड द्वारा दिनांक 22.07.2021 के अपने पत्र सं.2021/इलेक्शन/डब्ल्यू.एस-628के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 230-बीड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे**, मु. पो. हिंगणी (बु), ता. जि. बीड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/एम.टी.-एल.ए./230/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2021

O.N. 254.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Mahendra Rajendra Borade** had contested the aforesaid election from 230-Beed Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Beed District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R.1526/19/33 dated 17.02.2020, **Mahendra Rajendra Borade** contesting candidate from 230-Beed Assembly Constituencyof Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Beed District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 25.08.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Mahendra Rajendra Borade** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 25.08.2020**, Mahendra Rajendra Borade** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received bythe candidateon 15.09.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidatehas been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Beed District vide his letter No. 2020/General Election/WS-517dated 22.09.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Beed vide his letter No. 2021/election/WS-628dated 22.07.2021**,** it has been stated that **Mahendra Rajendra Borade** has not submitted the election expensesand he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mahendra Rajendra Borade** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mahendra Rajendra Borade**, at Post Higni (Bu) Tal. Dist Beed, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 230-Beed Assembly Constituencyof the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/230/2019]

By Order,

S.K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

आ.अ. 255.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/ई.पी.एस./2019 (4) दिनांक 02.04.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 29- मुंबई उत्तर-मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 23.05.2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. ई.एल.आर-2019/सी.आर.804/19/33 दिनांक 15.09.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 29- मुंबई उत्तर-मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह** को दिनांक 12.12.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 12.12.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र के पत्र सं. ई.एल.एन/एम.एस.डी./डी-5/जा.क्रा176/2021 दिनांक 23.03.2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अभ्यर्थी, **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह, दिये गये पते पर नहीं रहता है और उक्त नोटिस को सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 08.02.2021 को चस्पा कर दिया गया;**

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 07.07.2021 के अपने पत्र सं. ई.एल.एन/एम.एस.डी./डी-5/जा.क्रा154/2021 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 29- मुंबई उत्तर-मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद मेहमूद सैय्यद शाह**,मकान न. ए-6/601, बिल्डिंग सं. ए-6 अल मदीना, मिल्लत नगर, न्यू लिंक रोड पश्चिम, अंधेरी (पश्चिम), जिला. मुंबई उपनगर- 400 053 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/ एम.टी.-एच.पी./29/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2021

O.N. 255.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EPS/2019 (4) dated 02.04.2019 and **Mohammad Mehmood Syed Shah** had contested the aforesaid election from 29- Mumbai North-Central Parliamentary Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 23.05.2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by DEO & Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra through the Chief Electoral Officer's letter No. ELR-2019/C.R. 804/19/33 dated 15.09.2019 Mohammad Mehmood Syed Shah contesting candidate from 29- Mumbai North- Central Parliamentary Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 12.12.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Mohammad Mehmood Syed Shah** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 12.12.2019**, Mohammad Mehmood Syed Shah** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, as per the report of the District Collector & District Election Officer, Mumbai Suburban District vide his letter No. Eln/Msd/D-5/Ja.Kra.176/2021 dated 23.03.2021, the candidate, **Mohammad Mehmood Syed Shah, was not staying at the given address and the said notice was pasted on the society notice board on 08/02/2021;**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District vide his letter **No.** Eln/Msd/D-5/WS-154/2021 dated 07/07/2021**,** it has been stated that Mohammad Mehmood Syed Shah has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mohammad Mehmood Syed Shah** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohammad Mehmood Syed Shah**, H.No.A-6/601, BLDG. No. A-6 AL Madina, Millat Nagar, New Link Road West, Andheri (West), Dist- Mumbai Suburban- 400 053, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from 29- Mumbai North-Central Parliamentary Constituency of the state of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-HP/29/2019]

By Order,

S.K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

आ.अ. 256.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, **50-रायपुर (उत्तर)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर**, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री विकास मोटवानी** जो छत्तीसगढ़ के **50-रायपुर (उत्तर)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **शिवसेना** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर**, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोटो के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री विकास मोटवानी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **1 मार्च, 2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **1 मार्च, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री विकास मोटवानी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री विकास मोटवानी के कर्मचारी** द्वारा दिनांक **09 मार्च**, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक 15 **जुलाई**, 2020 के पत्र सं0 **क्रमांक/7596/निर्वा/नि.प./2020** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक 09 **जुलाई**, 2021 के पत्र सं0 **क्रमांक/344/निर्वा/नि.प./2021/न.क्र. 184 रायपुर** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री विकास मोटवानी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विकास मोटवानी** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **50-रायपुर (उत्तर)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **शिवसेना** के अभ्यर्थी श्री **विकास मोटवानी, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन-492001** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु– 1/50/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2021

O.N. 256.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **50-Raipur (North)** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **10th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Vikas Motwani,** and the contesting candidate of **Shivsena** from **50-Raipur (North)** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **1st March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Vikas Motwani** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **1st March, 2020**, **Sh. Vikas Motwani**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **the employee of Sh. Vikas Motwani**, on **14th July, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **क्रमांक/7596/निर्वा/नि.प./2020** dated, **15th July, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **क्रमांक/344/निर्वा/नि.प./2021/न.क्र. 184** dated 9th July, 2021, has stated that **Sh. Vikas Motwani**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Vikas Motwani**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vikas Motwani**, resident of **Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh-492001** and the contesting candidate of **Shivsena** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **50-Raipur (North)** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/50/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

आ.अ. 257.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, **50-रायपुर (उत्तर)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर**, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **डॉ कैलाश आदिल** जो छत्तीसगढ़ के **50-रायपुर (उत्तर)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर**, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोटो के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **डॉ कैलाश आदिल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **1 मार्च, 2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **1 मार्च, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **डॉ कैलाश आदिल** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **डॉ कैलाश आदिल के पिता** द्वारा दिनांक 14 **जुलाई**, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक 15 **जुलाई**, 2020 के पत्र सं0 **क्रमांक/7596/निर्वा/नि.प./2020** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक 09 **जुलाई**, 2021 के पत्र सं0 **क्रमांक/344/निर्वा/नि.प./2021/न.क्र. 184 रायपुर** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **डॉ कैलाश आदिल** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **डॉ कैलाश आदिल** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा "

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **50-रायपुर (उत्तर)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी **डॉ कैलाश आदिल, ग्राम- नवागांव, पो आ-मंदिर हसौद, छत्तीसगढ़, पिन-492101** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु– 1/50/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2021

O.N. 257.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **50-Raipur (North)** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **10th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Dr. Kailash Adil,** independent candidate from **50-Raipur (North)** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **1st March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Dr. Kailash Adil** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **1st March, 2020**, **Dr. Kailash Adil**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **father of Dr. Kailash Adil**, on **14th July, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **क्रमांक/7596/निर्वा/नि.प./2020** dated, **15th July, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **क्रमांक/344/निर्वा/नि.प./2021/न.क्र. 184** dated 9th July, 2021, has stated that **Dr. Kailash Adil**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Dr. Kailash Adil**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Dr. Kailash Adil**, resident of **Village- Nawagaon, Post-Mandir Hasoud, Chhattisgarh-492101** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **50-Raipur (North)** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/50/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 258.— यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, **41-झरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद**, झारखण्ड द्वारा दिनांक 28 जनवरी, **2020** के पत्र सं **60**/निर्वा॰ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **मो॰ आलम अंसारी,** जो झारखण्ड के **41-झरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद** झारखण्ड़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **मो॰ आलम अंसारी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **02 मार्च, 2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **02 मार्च, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **मो॰ आलम अंसारी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **मो॰ आलम अंसारी** द्वारा दिनांक **18 मार्च, 2021** को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद** द्वारा अपने दिनांक 12 **अप्रैल**, 2021 के पत्र सं0 170/ **निर्वा॰** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद** द्वारा अपने दिनांक 12 **अप्रैल**, 2021 के पत्र सं0 170/**निर्वा॰** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **मो॰ आलम अंसारी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मो॰ आलम अंसारी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **41-झरिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी **मो० आलम अंसारी, मो०- भूलन बरारी, डा०- भूलन बरारी, जिला- धनबाद, पिन- 828133, झारखण्ड** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/41/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 258.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **41-Jharia Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **60/निर्वा** dated **28th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Dhanbad** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा–ईईएम–को–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Md. Alam Ansari,** an **Independent** contesting candidate from **41-Jharia Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Dhanbad**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice dated **2nd March, 2020** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Md. Alam Ansari** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **2nd March, 2020**, **Md. Alam Ansari**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Md. Alam Ansari**, on **18th March, 2021.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Dhanbad** vide his letter No. 170/निर्वा० **dated 12th April, 2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Dhanbad** vide his letter No. 170/निर्वा० **dated 12th April, 2021,** it has been stated that **Md. Alam Ansari** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Md. Alam Ansari**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Md. Alam Ansari**, resident of **Mo-Bhulan Barari, Post- Bhulan Barari, Dist- Dhanbad, Jharkhand, Pin-828133** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **41-Jharia Assembly** Constituency of the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.JKD-LA/ES-I/41/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 259.—यत: निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019, की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा 07–झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार द्वारा दिनांक 29–6–2019 के पत्र सं0 2689/निर्वा0 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-7) **झंझारपुर**. 5843 के जरिए अग्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन** जो बिहार क **07–झंझारपुर लोक सभा** निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 अगस्त, 2020 जारी किया गया थाय

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ।

और यत:, उक्त नोटिस **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन** के द्वारा 6 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 6 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 1050/Ele., पटना के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ।

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पत्र सं0 647/Ele. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ।

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

"निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **07–झंझारपुर लोक सभा** निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले **ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक** अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन**, **निवासी ग्राम–पोस्ट–पथराही, थाना–लदनियॉ**, जिला–मधुबनी, बिहार–847227 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.बिहार–लो०स० /पूर्व अनु०-1 /7/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 259.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10thMarch, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officers including **07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency** in Bihar State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No.2689/Ele. dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-7) Jhanjharpur-5843, dated 15th July, 2019, **Sh. Surendra Prasad Suman**, **All India Forward Bloc,** contesting candidate from **07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency** in Bihar State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 20th August, 2020 was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Surendra Prasad Suman**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 20th August, 2020, **Sh. Surendra Prasad Suman**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Surendra Prasad Suman**, on 6th September, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Madhubani** vide letter No.1050/Ele. dated 6th September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Madhubani** vide letter No.647/Ele. dated 1st July, 2021, it has been stated that **Sh. Surendra Prasad Suman**, has not submitted any representation or account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Surendra Prasad Suman**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
(b) has no good reason or justification for the failure,
Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Surendra Prasad Suman**, resident of **Vill+PO-Pathrahi, P.S.-Ladania, District-Madhubani, State-Bihar, Pincode-847227** and a contesting candidate from **All India Forward Bloc** during General Election to Lok Sabha, 2019 from **07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency** of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.BR-HP/ES-I/7/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 260.–यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, **38-सिन्दरी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद**, झारखण्ड द्वारा दिनांक 28 जनवरी, **2020** के पत्र सं **60/निर्वा॰** द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **श्री आशिष कुमार,** जो झारखण्ड के **38-सिन्दरी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री आशिष कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **08 जुलाई, 2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **08 जुलाई, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री आशिष कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री आशिष कुमार** द्वारा दिनांक **29 जुलाई, 2020** को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद** द्वारा अपने दिनांक 15 मार्च, 2021 के पत्र सं0 123/ **निर्वा॰** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धनबाद** द्वारा अपने दिनांक 15 मार्च, 2021 के पत्र सं0 123/ **निर्वा॰** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री आशिष कुमार** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री आशिष कुमार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीनउपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा "

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **38-सिन्दरी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री **आशिष कुमार, 112-बी सुसनीलेवा, पो॰-नागनगर, थाना-वरवड्डा, जिला- धनबाद, झारखण्ड, पिन-826004** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/38/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 260.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **38-Sindri Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **60/निर्वा** dated **28th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Dhanbad** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा–ईईएम–को–42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Ashish Kumar,** an **Independent** contesting candidate from **38-Sindri Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Dhanbad**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice dated **8th July, 2020** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Ashish Kumar** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **8th July, 2020**, **Sh. Ashish Kumar**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Ashish Kumar**, on **29th July, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Dhanbad** vide his letter No. 123/निर्वा० **dated 15th March, 2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Dhanbad** vide his letter No. 123/निर्वा० **dated 15th March, 2021,** it has been stated that **Sh. Ashish Kumar** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he

has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ashish Kumar**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ashish Kumar**, resident of **112 B Susnilewa, Post- Nagnagar, PS- Thana Barwadda, Dist- Dhanbad, Jharkhand, Pin-826004** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **38-Sindri Assembly** Constituency of the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.JKD-LA/ES-I/38/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 261.–यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी ।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 67–**सिसई (अ०ज०जा०)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गुमला**, झारखण्ड द्वारा दिनांक **24** जनवरी, **2020** के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 03 फरवरी, 2020 के पत्र स0 01/निर्वा–ई.ई.एम–को.–42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार श्री **संतोष महली,** जो झारखण्ड के 67–**सिसई (अ०ज०जा०)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गुमला** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री **संतोष महली** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 जुलाई, 2020 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **10** जुलाई, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री **संतोष महली** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री **संतोष महली की पत्नी** द्वारा दिनांक **21** जुलाई, 2020 **को** प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **गुमला** द्वारा अपने दिनांक **31** जुलाई, 2020 के पत्र सं0 **194**/निर्वा. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गुमला** द्वारा अपने दिनांक 28 जनवरी, 2021 के पत्र सं0 **68(ii)/निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **संतोष महली** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **संतोष महली** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 67–**सिसई (अ०ज०जा०)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी श्री **संतोष महली, ग्राम+पो- बरगांव, थाना- सिसई, जिला- गुमला, झारखण्ड** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं.झार.–वि.स./पूर्व अनु0–1/67/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 261.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019.**

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **67-Sisai (ST) Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019.** As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter dated **24th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Gumla** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.**01**/निर्वा–ईईएम–को –42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Santosh Mahli,** a contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** from **67-Sisai (ST) Assembly** Constituency in Jharkhand, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Gumla**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated **10th July 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Santosh Mahli** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th July 2020**, **Sh. Santosh Mahli** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Wife of Sh. Santosh Mahli** on **21st July, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Gumla** vide his letter 194/निर्वा **dated 31st July, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Gumla** vide his letter No. **68(ii)/निर्वा०** dated **28th January, 2021,** it has been stated that **Sh. Santosh Mahli** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc till date. Further, he

has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Santosh Mahli** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order"

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Santosh Mahli**, resident of **Village+Post-Bargaon, P.S-Sisai, Dist.-Gumla, Jharkhand** and a contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **67-Sisai (ST) Assembly** Constituency in the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. JKD-LA/ES-I/67/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 262.–यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 27–मुंगेली, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/**चार/वि.स.चु./ई.ई.एम**/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 09 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री **तुलसीदास** जांगडे जो छत्तीसगढ के 27–मुंगेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री **तुलसीदास** जांगडे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24 **फरवरी,** 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री **तुलसीदास** जांगडे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री **तुलसीदास** जांगडे द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं0 निर्वा./लेखा/2020/2240 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं0 निर्वा./लेखा/2020/2240 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **तुलसीदास** जांगडे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **तुलसीदास** जांगडे निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 27–मुंगेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी श्री **तुलसीदास** जांगडे, ग्राम– निपनिया, पो.–धनगांव (गो.), जिला– मुंगेली, छत्तीसगढ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/27//2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान **सचिव**

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 262.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **27-Mungeli** Constituency on **11th December, 2018**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **10th January, 2019**.

AND WHEREAS, as per the report dated **09th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85**, dated 29th January, 2019**, **Sh. Tulsidas Jangde,** an **Independent** contesting candidate from **27-Mungeli Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Sh.ow Cause Notice, dated **24th Feb, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Tulsidas Jangde**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Sh.ow Cause Notice, dated **24th Feb, 2020**, **Sh. Tulsidas Jangde** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Tulsidas Jangde**, on **02nd July, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No. निर्वा/लेखा/2020/2240 dated 11th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No. निर्वा/लेखा/2020/2240 dated 11th August, 2020 has stated that **Sh. Tulsidas Jangde**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furniSh.ed neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Tulsidas Jangde**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission Sh.all by order publiSh.ed in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person Sh.all be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Tulsidas Jangde** resident of **Village-Nipaniya, PO.-Dhangaon(Go.), Dist- Mungeli , Chhattisgarh** an **Independent** contesting candidate, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **27-Mungeli Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/27/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 263.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, **27–मुंगेली**, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोशित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुंगेली** छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक **29 जनवरी, 2019** के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019¢85 के जरिए अग्रेशित दिनांक **09 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **श्री प्रमोद नारायण पाटले** जो छत्तीसगढ़ क **27–मुंगेली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुंगेली** जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री प्रमोद नारायण पाटले** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **24 फरवरी , 2020** को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **24 फरवरी, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री प्रमोद नारायण पाटले** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस **श्री प्रमोद नारायण पाटले** द्वारा दिनांक **01 जुलाई, 2020** को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुंगेली** द्वारा अपने दिनांक **11 अगस्त, 2020** के पत्र सं0 **निर्वा/लेखा/2020/2240** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुंगेली** द्वारा अपने दिनांक **11 अगस्त, 2020** के पत्र सं0 **निर्वा./लेखा/2020/2240** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री प्रमोद नारायण पाटले** ने आज की

तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रमोद नारायण पाटले** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगाय

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **27–मुंगेली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी **श्री प्रमोद नारायण पाटलेए ग्राम– भरूवागुड़ा, पो.–फंदवानीए जिला–मुंगेली, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संध राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/27//2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 263.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **27-Mungeli** Constituency on **11th December, 2018**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **10th January, 2019**.

AND WHEREAS, as per the report dated **09th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम 2019 85**, dated 29th January, 2019**, **Sh. Pramod Narayan Patle,** an **Independent** contesting candidate from **27-Mungeli Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Sh.ow Cause Notice, dated **24th Feb, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Pramod Narayan Patle**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Sh.ow Cause Notice, dated **24th Feb, 2020**, **Sh. Pramod Narayan Patle** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Pramod Narayan Patle**, on **01st July, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No. निर्वा/लेखा/2020/2240 dated 11th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No. निर्वा/लेखा/2020/2240 dated 11th August, 2020 has stated that **Sh. Pramod Narayan Patle**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furniSh.ed neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Pramod Narayan Patle**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission Sh.all by order publiSh.ed in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person Sh.all be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pramod Narayan Patle** resident of **Village-Bharuvaguda, PO.-Fandwani, Dist- Mungeli , Chhattisgarh** an **Independent** contesting candidate, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **27-Mungeli Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/27/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 264.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 27–मुंगेली, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/**चार/वि.स.चु./ई.ई.एम**/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 09 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संतराम गेंडारे जो छत्तीसगढ के 27–मुंगेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संतराम गेंडारे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24 **फरवरी** , 2020 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संतराम गेंडारे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री संतराम गेंडारे द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं0 निर्वा./लेखा/2020/2240 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं0 निर्वा./लेखा/2020/2240 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संतराम गेंडारे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संतराम गेंडारे निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य **27–मुंगेली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी **श्री संतराम गेंडारे, ग्राम– भथरी, पो.– तखतपुर, जिला– मुंगेली, छत्तीसगढ़** को इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/27//2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 264.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **27-Mungeli** Constituency on **11th December, 2018**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **10th January, 2019**.

AND WHEREAS, as per the report dated **09th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम 2019 85, **dated 29th January, 2019**, **Sh. Santram Gendare,** an **Independent** contesting candidate from **27-Mungeli Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Sh.ow Cause Notice, dated **24th Feb, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Santram Gendare**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Sh.ow Cause Notice, dated **24th Feb, 2020**, **Sh. Santram Gendare** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Santram Gendare**, on **21st July, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No. निर्वा/लेखा/2020/2240 dated 11th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No. निर्वा/लेखा/2020/2240 dated 11th August, 2020 has stated that **Sh.. Santram Gendare**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furniSh.ed neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Santram Gendare**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission Sh.all by order publiSh.ed in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person Sh.all be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Santram Gendare, Village-Bharuvaguda, PO.-Fandwani, Dist-Mungeli , Chhattisgarh** an **Independent** contesting candidate, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **27-Mungeli Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/27/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 265.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री फूलराज वर्मा, जो छत्तीसगढ के 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री फूलराज वर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री फूलराज वर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री फूलराज वर्मा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 354/निर्वा./नि.प./**2020/184** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री फूलराज वर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री फूलराज वर्मा निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **48–रायपुर ग्रामीण** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी** अभ्यर्थी **श्री फूलराज वर्मा, ग्राम–दतरेंगा, पो0–सेजबहार, छत्तीसगढ़** को इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/48/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 265.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **48-Raipur Rural** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Fulraj Varma,** contesting candidate of **Bhartiya bahujan Congress** from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **16th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to , **Sh. Fulraj Varma**,for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **16th March, 2020 Sh. Fulraj Varma**,was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Fulraj Varma**, on 13th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.7599/निर्वा/निप/2020 dated 16th july, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **354/निर्वा/निप/2020/184** dated **15th july, 2020** has stated that **Sh. Fulraj Varma**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Fulraj Varma**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Fulraj Varma**, resident of Vill- **Datrenga, Post-Sejbahar, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Bhartiya bahujan Congress** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/48/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 266.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री **मंगलचंद घृतलहरे**, जो छत्तीसगढ के 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री **मंगलचंद घृतलहरे** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री **मंगलचंद घृतलहरे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री **मंगलचंद घृतलहरे** द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **मंगलचंद घृतलहरे** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **मंगलचंद घृतलहरे** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)** अभ्यर्थी श्री **मंगलचंद घृतलहरे, म नं0- 97, टेमरी,** रायपुर, छत्तीसगढ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/48/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 266.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **48-Raipur Rural** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Mangal Chand Ghritlahre,** contesting candidate of **Republican Party of India (A)** from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **16th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to , **Sh. Mangal Chand Ghritlahre**,for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **16th March, 2020 Sh. Mangal Chand Ghritlahre**,was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Mangal Chand Ghritlahre**, on 13th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.7599/निर्वा/निप/2020 dated 16th july, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 354/निर्वा/निप/2020 184 dated 15th july, 2020 has stated that **Sh. Mangal Chand**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Mangal Chand Ghritlahre**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mangal Chand Ghritlahre**, resident of **H.No.97, Temri, Raipur, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Republican Party of India (A)** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/48/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 267.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री **मो0 औरंगजेब**, जो छत्तीसगढ के 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री **मो0 औरंगजेब** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री **मो0 औरंगजेब** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री **मो0 औरंगजेब** द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **मो0 औरंगजेब** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **मो0 औरंगजेब** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री **मो0 औरंगजेब, गाजीनगर, बीरगांव,** रायपुर, छत्तीसगढ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/48/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 267.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **48-Raipur Rural** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Shri Mohammad Aurangjeb,** an **Independent** contesting candidate from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **16th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to , **Shri Mohammad Aurangjeb**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **16th March, 2020 Sh. Shri Mohammad Aurangjeb**,was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Mohammad Aurangjeb**, on 10th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.7599/निर्वा/नि प/2020 dated 16th july, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 354/निर्वा/नि प/2020 184 dated 15th july, 2020 has stated that **Shri Mohammad Aurangjeb**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Mohammad Aurangjeb**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Mohammad Aurangjeb, Gaazinagar, Birgaon, Raipur, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/48/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 268.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी**, जो छत्तीसगढ के 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी** द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी **श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी, टाटीबंध, भरकापारा, रायपुर,** छत्तीसगढ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के

लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/48/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 268.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **48-Raipur Rural** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Baldev Prakash Dwivedi,** and an **Independent** contesting candidate from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **16th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Baldev Prakash Dwivedi**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **16th March, 2020 Sh. Baldev Prakash Dwivedi**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Baldev Prakash Dwivedi**, on 14th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.7599/निर्वा/नि प/2020 dated 16th july, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 354/निर्वा/नि प/2020 184 dated 15th july, 2020 has stated that **Sh. Baldev Prakash Dwivedi**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Baldev Prakash Dwivedi**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Baldev Prakash Dwivedi**, resident of **Tatiband, Bharkapara, Raipur, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/48/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 269.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री राजेंद्र कुमार साहू**, जो छत्तीसगढ के 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राजेंद्र कुमार साहू** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री राजेंद्र कुमार साहू** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री राजेंद्र कुमार साहू** द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री राजेंद्र कुमार साहू** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राजेंद्र कुमार साहू** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी **श्री राजेंद्र कुमार साहू, मलसाय तालब के पास, पीयूष नगर, कुशालपुर, रायपुर,** छत्तीसगढ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/48/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 269.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **48-Raipur Rural** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019,**Sh. Rajendra Kumar Sahu,** and an **Independent** contesting candidate from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **16th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Rajendra Kumar Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **16th March, 2020 Sh. Rajendra Kumar Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Rajendra Kumar Sahu**, on 14th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.7599/निर्वा/नि प/2020 dated 16th july, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 354/निर्वा/नि प/2020 184 dated 15th july, 2020 has stated that **Sh. Rajendra Kumar Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Rajendra Kumar Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rajendra Kumar Sahu**, resident of **Vaman Rao Lakhe Ward No. 64, Near Malsay Talab, Piyush Nagar Raipur, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/48/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 270.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सत्यनारायण सोनवानी**, जो छत्तीसगढ के 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सत्यनारायण सोनवानी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सत्यनारायण सोनवानी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री सत्यनारायण सोनवानी** द्वारा दिनांक 19 **मई**, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सत्यनारायण सोनवानी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सत्यनारायण सोनवानी** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 48–रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी **श्री सत्यनारायण सोनवानी, ग्राम- हरीभट्टा, थाना व तह सिमग, जिला बलोदा बाजार,** छत्तीसगढ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग.–वि.स./पूर्व अनु0–1/48/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 270.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **48-Raipur Rural** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Satyanarayan Sonwani,** and an **Independent** contesting candidate from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **16th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to , **Sh. Satyanarayan Sonwani**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **16th March, 2020 Sh. Satyanarayan Sonwani**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Satyanarayan Sonwani**, on 19th May, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.7599/निर्वा/निप/2020 dated 16th july, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **354/निर्वा/निप/2020/184** dated **15th july, 2020** has stated that **Sh. Satyanarayan Sonwani**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Satyanarayan Sonwani**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Satyanarayan Sonwani**, resident of Vill- Haribhata, P.S & Tehsil-Simag, Distt. Baloda Bazar, **Raipur, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **48-Raipur Rural Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/48/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

आ.अ. 271.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 21–कोरबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री डूडेन खाण्डे** जो छत्तीसगढ के 21–कोरबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ की रिपोटो के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री डूडेन खाण्डे** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **28 अगस्त, 2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार, दिनांक **28 अगस्त, 2019** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री डूडेन खाण्डे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री डूडेन खाण्डे के पिता श्री पीताम्बर पटेल** द्वारा दिनांक 20 **अगस्त**, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा द्वारा अपने दिनांक 28 **अगस्त**, 2020 के पत्र सं0 **211/निर्वा.पर्य./सामा. निर्वा/2020-21** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा द्वारा अपने दिनांक 29 **जुलाई**, 2021 के पत्र सं0 **898/ सामा. निर्वा/नोटिस/2021** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री डूडेन खाण्डे** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री डूडेन खाण्डे** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ राज्य 21–कोरबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री **डूडेन खाण्डे, वार्ड क. 03 रातासार कोरबा, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु– 1/21/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2021

O.N. 271.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **21-Korba** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Korba** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/विसचु/ईई एम/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Duden Khande,** independent candidate from **21-Korba** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Korba** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **28th August, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Duden Khande** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **28th August, 2019**, **Sh. Duden Khande**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Pitamber Patel father of Sh. Duden Khande**, on **20th August, 2020.** Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Korba** vide his letter No. 211/निर्वा.पर्य./सामा. निर्वा 2020-21 dated, **28th August, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Korba** vide his letter No. 898 सामा. निर्वा/नोटिस 2021 dated 29th July, 2021, has stated that **Sh. Duden Khande**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Duden Khande**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Duden Khande**, resident of **Ward No. 03 Ratakhar Korba, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **21- Korba** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/21/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

आ.अ. 272.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के तहत 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान जिला, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह** द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एस. सुदर्शन राव**, जो 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एस. सुदर्शन राव** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण - बताओ नोटिस सं. 76/एएनआई-एच पी/2019 दिनांक 13 अगस्त, 2020 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एस. सुदर्शन राव** को इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** के पास निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा दर्ज करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, दिनांक 24.10.2020 की अपनी रिपोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** ने सूचित किया है कि अभ्यर्थी **(एस. सुदर्शन राव)** नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करते समय उपलब्ध कराए गए पते पर नहीं रह रहे हैं। इस संबंध में गवाहों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए थे; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** ने दिनांक 24.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में बताया कि **एस. सुदर्शन राव** ने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

यतः, दिनांक 01.07.2021 के पत्र सं. 76/एएनआई-एचपी/दक्षिण 3/2019 के द्वारा, उक्त नोटिस शपथ-पत्र में दिए गए **एस. सुदर्शन राव** की मेल आईडी ssrao46@gmail.com पर इस दिशा-निर्देश के साथ मेल कर दिया गया था कि वे उक्त पत्र की प्राप्ति से 20 दिनों के भीतर अर्थात् 21.07.2021 तक उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें।

यत:, आयोग के नोटिस मिलने और ऊपरोल्लिखित मेल के जवाब के रूप में **एस. सुदर्शन राव** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित रीति से लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई सुपष्टीकरण दिया है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **एस. सुदर्शन राव** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र के 1- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **एस. सुदर्शन राव, मकान संख्या-14, एचयूडीसीओ (हुडको) कॉलोनी, अंडमान हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्कूल लाइन, पोर्ट ब्लेयर,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/एएनआई – एचपी/एसओयू 3/2019]

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2021

O.N. 272.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 submitted by the District Election Officer, South Andaman District, Andaman and Nicobar Islands, **S. Sudershan Rao,** a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 has failed to lodge account of Election Expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/ANI-HP/2019 dated 13th August, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **S. Sudershan Rao,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **S. Sudershan Rao,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge complete account of election expenses with the District Election Officer, **South Andaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **South Andaman**, in his report dated 24.10.2020 has reported that the candidate is not residing at the address provided by him (**S. Sudershan Rao)** at the time of filing nomination. Signatures of witnesses were also obtained in this regard; and

WHEREAS, the District Election Officer, South Andaman in his supplementary report dated **24.06.2021** reported that **S. Sudershan Rao,** has not submitted account of election expenses; and

WHEREAS, vide letter No. 76/ANI-HP/SOU3/2019 dated 01.07.2021, the said notice was emailed to **S. Sudershan Rao** on 01.07.2021 at the mail id ssrao46@gmail.com, given in Affidavit with direction to submit a reply to the said notice within 20 days of receipt of the said letter i.e. latest by 21.07.2021;and

WHEREAS, S. Sudershan Rao has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law in response to the aforementioned email and to the Notice of the Commission; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **S. Sudershan Rao,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **S. Sudershan Rao, House No. 14, HUDCO Colony, Andaman Housing Co-operative Society Limited, School Line, Port Blair** and a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/ANI-HP/SOU3/2019]

Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

आ. अ. 273.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/**एम.टी.-एल.ए.**/2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 171- मानखुर्द शिवाजी नगर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना कि तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, मुंबई उप-नगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 171- मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी,

मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उप-नगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख के पिता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11.03.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के पिता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उप-नगर जिला द्वारा दिनांक 14.08.2020 के अपने पत्र सं. **निर्वाचन/डी.ई.ओ.-एम.एस.डी./निर्वाचन लेखा/क्र.सं. 273/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, मुंबई उप-नगर जिला द्वारा दिनांक 09/07/2021 के अपने पत्र सं. **ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ ई.एल.एन.ई.एक्स.पी.एस.171/2021** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 171- मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख**, प्लाट सं. 33- यू- 1, शिवाजीनगर, गोवंडी, मुंबई- 400 043 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/एम.टी.-एल.ए./171/2019]

आदेश से,

एस.के. दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2021

O.N. 273.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** had contested the aforesaid election from 171- Mankhurd Shivaji Nagar Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all

expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** contesting candidate from 171- Mankhurd Shivaji Nagar Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the father of **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh on** 11.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's father has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Mumbai Suburban District vide his letter No. Ele/Deo-msd/Election Accounts/Sr no 273/2020 dated 14.08.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District vide his letter No Eln/Msd/D-5/Eln.Exps.171/2021 dated 09.07.2021, it has been stated that **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh has** not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh has** failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** , Plot No. 33-U-1, Shivajinagar, Govandi, Mumbai- 400 043, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 171- Mankhurd Shivaji Nagar Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/171/2019]

By Order,

S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

आ.अ. 274.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/**एम.टी.-एल.ए.**/2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **विशाल दत्ता शिंदे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में

महाराष्ट्र राज्य के 83- किनवट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना कि तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 83- किनवट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **विशाल दत्ता शिंदे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **विशाल दत्ता शिंदे** को दिनांक 25.08.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25.08.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **विशाल दत्ता शिंदे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, विशाल दत्ता शिंदे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 16.04.2021 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 10.05.2021 के अपने पत्र सं. 2020/जी.बी.-3/निर्वाचन/ई.एल.ईएक्सपी./सी.आर. द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 06/07/2021 के अपने पत्र सं. 2020/जी.बी.-3/निर्वाचन/ई.एल.ईएक्सपी./सी.आर. के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **विशाल दत्ता शिंदे,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **विशाल दत्ता शिंदे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 83- किनवट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **विशाल दत्ता शिंदे**, निवासी-साई श्रध्दा लेआउट माहुर ता. माहुर जि. नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की

विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/एम.टी.-एल.ए./83/2019]

आदेश से,

एस.के. दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2021

O.N. 274.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and Vishal Datta Shinde had contested the aforesaid election from 83-Kinwat Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Vishal Datta Shinde** contesting candidate from 83-Kinwat Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 25.08.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Vishal Datta Shinde** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 25.08.2020**, Vishal Datta Shinde** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Vishal Datta Shinde** on 16.04.2021, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nanded District vide his letter No. 2020/GB-3/Election/El.Exp/CR dated 10.05.2021;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No. 2020/GB-3/Election/El.Exp/CR dated 06.07.2021**,** it has been stated that **Vishal Datta Shinde** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Vishal Datta Shinde** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Vishal Datta Shinde**, resident of Sai Shradha Layout Mahur, Tq. Mahur Dist- Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 83-Kinwat Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/MT-LA/83/2019]

By Order,

S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

आ.अ. 275.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के तहत 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान जिला, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह** द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **गौड़ चन्द्र मजूमदार**, जो 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गौड़ चन्द्र मजूमदार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण - बताओ नोटिस सं. 76/एएनआई-एच पी/2019 दिनांक 13 अगस्त, 2020 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **गौड़ चन्द्र मजूमदार** को इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** के पास निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा दर्ज करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, दिनांक 24.10.2020 की अपनी रिपोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** ने सूचित किया है कि **गौड़ चन्द्र मजूमदार** अपने नाम-निर्देशन पत्र में उनके द्वारा दिए गए पते **सीतापुर गांव, रंगत डाकघर, उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला-744205** पर नहीं पाये गए थे और इसलिए, दिनांक 24/10/2020 को तीन स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में दिए गए पते पर नोटिस चिपका दिया गया है।

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** ने दिनांक 24.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में आगे बताया है कि **गौड़ चन्द्र मजूमदार** ने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

यतः, दिनांक 01.07.2021 के पत्र सं. 76/एएनआई-एचपी/दक्षिण 3/2019 के द्वारा, उक्त नोटिस **गौड़ चन्द्र मजूमदार** की मेल आईडी gourcmajumder007@gmail.com पर ईमेल कर दिया गया था, जिसे **गौड़ चन्द्र मजूमदार** से नाम-निर्देशन पत्र में दिए गए मोबाइल नं. 9531958390 पर टेलीफोन करके प्राप्त किया गया था और उन्हें निदेश दिया गया कि उक्त पत्र की प्राप्ति से 20 दिनों के भीतर अर्थात् 26.07.2021 तक उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें।

यतः, आयोग के नोटिस मिलने या ऊपरोल्लिखित मेल के जवाब के उपरांत भी **गौड़ चन्द्र मजूमदार** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित रीति से लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गौड़ चन्द्र मजूमदार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र के 1- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गौड़ चन्द्र मजूमदार, सीतापुर गांव, रंगत डाकघर, उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला-744205** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं. 76/एएनआई – एचपी/एसओयू 3/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th August, 2021

O.N. 275.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 submitted by the District Election Officer, South Andaman District, Andaman and Nicobar Islands, **Gour Chandra Majumder,** a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 has failed to lodge account of Election Expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/ANI-HP/2019 dated 13th August, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Gour Chandra Majumder,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Gour Chandra Majumder,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge complete account of election expenses with the District Election Officer, **South Andaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **South Andaman**, in his report dated 24.10.2020 has reported that **Gour Chandra Majumder** was not found residing at the address, Sitapur Village, Rangat Post, North and Middle Andaman District – 744205, provided by him in his nomination papers and therefore, the notice has been pasted at the given address, in the presence of three local residents on **24.10.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, South Andaman in his Supplementary Report dated **24.06.2021** has further reported that **Gour Chandra Majumder,** has not submitted account of election expenses; and

WHEREAS, vide letter No. 76/ANI-HP/SOU3/2019 dated 01.07.2021, the said notice was emailed to **Gour Chandra Majumder** at the mail id gourcmajumder007@gmail.com on 06.07.2021 which was obtained from **Gour Chandra Majumder** telephonically on Mobile No. 9531958390 given in nomination papers, with direction to submit a reply to the said notice within 20 days of receipt of the said letter i.e. latest by 26.07.2021;and

WHEREAS, **Gour Chandra Majumder** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law in response to the aforementioned email or to the Notice of the Commission; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Gour Chandra Majumder,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gour Chandra Majumder, Sitapur Village, Rangat Post, North and Middle Andaman District – 744205** and a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/ANI-HP/SOU3/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th August, 2021

O.N. 276.—Commission's disqualification order No. 76/AP-LA/2020 dated 7th August, 2021, issued in respect of Shri/Smt./Km/Ms. **T. Balaji Manohar**, a contesting candidate from 157-Hindupur Assembly Constituency in General Election to Andhra Pradesh Legislative Assembly, 2019 "**157-Hindupur Urban Assembly Constituency"**, mentioned at last para of the said disqualification order, may be read as **"157-Hindupur Assembly Constituency"**.

[F.No. 76/AP-LA/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

आ.अ. 277.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **इमरान बशर** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 86-नांदेड उत्तर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या

अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 86-नांदेड उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **इमरान बशर** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **इमरान बशर** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **इमरान बशर** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, इमरान बशर के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11.06.2021 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 16.06.2021 के अपने पत्र सं. 2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ईएल.ईएक्सपी/सी.आर द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 14.08.2021 के अपने पत्र सं.2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ईएल.ईएक्सपी/सी.आर के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **इमरान बशर,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **इमरान बशर** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 86-नांदेड उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **इमरान बशर**, पिरहबुरान नगर गली सं. 5, नांदेड ता. जिला नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/एम.टी.-एल.ए./86/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2021

O.N. 277.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Imran Bashar** had contested the aforesaid election from 86- Nanded North Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Imran Bashar** contesting candidate from 86- Nanded North Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Imran Bashar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020**, Imran Bashar** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 11.06.2021, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nanded District vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 16.06.2021;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 14.08.2021**,** it has been stated that **Imran Bashar** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Imran Bashar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Imran Bashar**, Pirhburan Nagar Gali No. 5, Nanded Tq. Dist. Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 86- Nanded North Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/MT-LA/86/2019]

By Order,

S.K.DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

आ.अ. 278.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/**एम.टी.-एल.ए.**/2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **सुमित पांडुरंग बारस्कर** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 168- चान्दीवली विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 168- चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, सुमित पांडुरंग बारस्कर के भाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 12.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 14.08.2020 के अपने पत्र सं. **ईएलई/डीईओ-एमएसडी/इलेक्शन अकाउंट/क्रम.सं.272/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 18/08/2021 के अपने पत्र सं. **ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ ई.एल.एन.ई.एक्स.पी.168/2021/355** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **सुमित पांडुरंग बारस्कर,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **सुमित पांडुरंग बारस्कर** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 168- चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सुमित पांडुरंग बारस्कर**, निवासी- ए-10, अचानक हौ.सो. सत्यनगर, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, कुर्ला (प.) मुंबई 400 072, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/एम.टी.-एल.ए./168/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2021

O.N. 278.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Sumeet Pandurang Baraskar** had contested the aforesaid election from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Sumeet Pandurang Baraskar** contesting candidate from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Sumeet Pandurang Baraskar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020**, Sumeet Pandurang Baraskar** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by brother of Sumeet Pandurang Baraskar on 12.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's brother has been submitted to the Commission by District Election officer, Mumbai Suburban District vide his letter No.Ele/Deo-msd/Election Accounts/Sr.no.272/2020 dated14/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District vide his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exp.168/2021/355 dated 18.08.2021**,** it has been stated that **Sumeet Pandurang Baraskar** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sumeet Pandurang Baraskar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sumeet Pandurang Baraskar**, resident of A-10, Achanak Hou.Soc. Satyanagar, Andheri- Ghatkopar Link Road Kurla (W), Mumbai- 400 072, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 168-Chandivali Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/MT-LA/168/2019]

By Order,

S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

आ.अ. 279.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/**एम.टी.-एल.ए.**/2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 168- चान्दीवली विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, एवं कलक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 168- चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11.03.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 14.08.2020 के अपने पत्र सं. **ईएलई/डीईओ-एमएसडी/इलेक्शन अकाउंट/क्रम.सं.272/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 18/08/2021 के अपने पत्र सं. **ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ ई.एल.एन.ई.एक्स.पी.168/2021/355** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि

बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 168- चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी**, निवासी- रुम नं. 6, मातृछाया हाऊसिंग सोसायटी, एल.बी.एस. नगर, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, साकीनाका, मुंबई, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/एम.टी.-एल.ए./168/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2021

O.N. 279.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Brijesh Surendranath Tiwari** had contested the aforesaid election from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Brijesh Surendranath Tiwari** contesting candidate from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Brijesh Surendranath Tiwari** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020**, Brijesh Surendranath Tiwari** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge

his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Brijesh Surendranath Tiwari** on 11.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer, Mumbai Suburban District vide his letter No.Ele/Deo-msd/Election Accounts/Sr.no.272/2020 dated14/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District vide his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exp.168/2021/355 dated 18.08.2021, it has been stated that **Brijesh Surendranath Tiwari** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Brijesh Surendranath Tiwari** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Brijesh Surendranath Tiwari**, resident of Room No. 6, Matruchaya, Housing Society, L.B.S. Nagar, Andheri Ghatkopar Link Road, Sakinaka, Mumbai, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 168-Chandivali Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/MT-LA/168/2019]

By Order,

S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

आ.अ. 280.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/**एम.टी.-एल.ए.**/2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 168- चान्दीवली विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 168- चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, मोहम्मद इम्रान कुरेशी के भाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 14.08.2020 के अपने पत्र सं. **ईएलई/डीईओ-एमएसडी/इलेक्शन अकाउंट/क्रम.सं.272/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 18/08/2021 के अपने पत्र सं. **ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ ई.एल.एन.ई.एक्स.पी.168/2021/355** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **मोहम्मद इम्रान कुरेशी,** ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 168- चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी**, निवासी- जय हिंद मटण शॉप, उनवाला कंपाऊंड, कुर्ला अंधेरी रोड़, जरी मरी, मुंबई- 400 072, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/एम.टी.-एल.ए./168/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th August, 2021

O.N. 280.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Mohd Imran Qureshi** had contested the aforesaid election from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of

his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Mohd Imran Qureshi** contesting candidate from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mohd Imran Qureshi** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020**,** **Mohd Imran Qureshi** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the brother of Mohd Imran Qureshi on 11.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's brother has been submitted to the Commission by District Election officer, Mumbai Suburban District vide his letter No.Ele/Deo-msd/Election Accounts/Sr.no.272/2020 dated14/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District vide his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exp.168/2021/355 dated 18.08.2021**,** it has been stated that **Mohd Imran Qureshi** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mohd Imran Qureshi** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohd Imran Qureshi**, resident of Jai Hind Mutton Shop, Unwala Compound, Kurla Andehri Road, Jari Mari, Mumbai- 400 072, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 168-Chandivali Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/MT-LA/168/2019]

By Order,

S.K.DAS, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.26 16:09:02 +05'30'